



10

**BEFORE THE HON'BLE BOARD OF REVENUE MADHYA PRADESD**  
**GWALIOR CAMP AT INDORE**

**Appeal No. \_\_\_\_\_ / 2018**

श्री. अग्रवाल का निवासी  
द्वारा 20-2-18  
यलवत

PBR/अपील/इंदौर/भू.स/2018/2039

Shailesh Agrawal S/O Lt. Shri Prahalad Agrawal,

Aged: Major, Occupation: Business,

Address: 12 Dhar Naka, **MHOW**,

Tahsil: Mhow, District Indore.

**...Appellant**

**VERSUS**

State Of Madhya Pradesh,

Through: Mineral Officer,

Addresss: Office of the Tahsil Mhow,

**MHOW**, District: Indore.

**...Respondent**

**APPEAL UNDER SECTION 44 (g) OF LAND REVENUE CODE, 1959**  
**AGAINST THE ORDER DATED 19.02.2018 PASSED BY THE**  
**ADDITIONAL COMMISSIONER, INDORE IN APPEAL NO. 376/2017-**  
**18 WHEREBY THE APPLICATION FOR STAY AGAINST THE**  
**EXECUTION HAS BEEN REJECTED.**

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/अपील/इन्दौर/भू.रा./2018/2039

श्री. रमेश कुमार शर्मा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
3/4/18	<p>अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 19-2-18 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 18-9-17 के विरुद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर स्थगन की मांग की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18-9-17 को आदेश पारित कर अपील समयावधि में मान्य कर सुनवाई हेतु ग्राह्य की गई एवं प्रकरण में स्थगन दिये जाने का कोई आधार नहीं होने से स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । वैसे भी रोक आदेश देना या न देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश उचित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p>अध्यक्ष</p>